03/03/2021

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। पत्रावली का उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रा.व का खण्डन नहीं किया गया न ही भाग लिया जाता है प्रकरण के तथ्यों को देखा जाता है प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत है अतः आदेश दिनांक 24/01/2019 से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को जारी है तथा विपक्षीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा बठरिया की खा.सं. 328 की अ.न. 1461 रकबा 0.07 हेक्टेयर भूमि पर किसी भी नवीन संरचना का निर्माण नहीं करें न मौके पर यथास्थिति कायम रखें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रोस्टर से काम दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 12:05:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner